

बिन्दु संख्या -3

विभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय की प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तर पर जबाब देही का निस्तारण:-

विभाग में सहकारी अधिनियम नियम एवं समय-समय पर घोषित शासकीय नीतियों के रहते पर्यवेक्षण की व्यवस्था न्याय पंचायत स्तर/विकास खण्ड स्तर तक है। विकास खण्ड पर सहायक विकास अधिकारी (सह0) तहसील स्तर पर अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी जनपद स्तर पर जिला सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/संयुक्त निबन्धक एवं मुख्यालय स्तर पर आयुक्त एवं निबन्धक द्वारा विभाग के क्रिया कलापो का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं प्रत्येक माह मुख्यालय पर मासिक बैठक कर समीक्षा की जाती है। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा समय-समय पर बैठके आयोजित कर क्रिया-कलापों की समीक्षा की जाती हैं

विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शासकीय नियमों, सहकारी अधिनियम के अन्तगत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जनकल्याण हेतु सौपी गयी योजनाओं का भी क्रियान्वयन करते हैं। कर्मचारी एवं अधिकारी अपने द्वारा सम्पादित कार्यों के प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी/मण्डलाधिकारी/विभागाध्यक्ष एवं शासन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।